**फाइल नं0-71-1002(002)/24/2021**

**58/2023/।296214/2023**

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2023**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/946, दिनांक 24.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 210.36 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 710.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-117/2021/।/85779/2021-71-1002(002)/24/2021, दिनांक 04.08.2021 द्वारा अवमुक्त की गई है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-51/2022/।/151359/2022-71-1002(002)/24/2021, दिनांक 30.03.2022 द्वारा रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार उक्त प्रायोजना हेतु कुल रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनॉक 24.03.2023 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 210.36 लाख (रू0 दो करोड़ दस लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्योमदों में किया जायेगा/ , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्योमदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर/्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, प्रधानाचार्य, कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाते एंव डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हो और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. शासनादेश संख्या-117/2021/।/85779/2021-71-1002(002)/24/2021, दिनांक 04.08.2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,10,36,000 ( रुपये दो करोड़ दस लाख छत्तीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056800 राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( एस0 पी0 सिंह )**
अनु सचिव

**<u>संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलममेण्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0), लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(एस0 पी0 सिंह)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।